न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

सीगा अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

प्रकरण संख्या 108/2025 (GCMS: 2025/436)

(RTI No. : 212120787722708)

श्री जरनैल सिंह पुत्र श्री मंगा सिंह निवासी चक 27 ए, पो.आ. 27ए, तहसील अनूपगढ़, जिला श्रीगंगानगर (मोबाईल नम्बर 86195–16712)

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

29.12.2025

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी जरनैल सिंह स्वयं उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी जरनैल सिंह ने लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दिनांक 29.10.2025 से सत्रह बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे उपलब्ध नहीं करवाई है इसलिए अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने हेतु यह अपील पेश की है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी जरनैल सिंह ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 29.10.2025 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ से निम्न सत्रह बिन्दुओं की सूचना चाही थी:

1. विधायक कोष से वर्ष 2020 से 2025 में ग्राम पंचायत चक 27ए अनूपगढ़ में हुए समस्त कार्यों का विवरण
2. संसद कोष से वर्ष 2020 से 2025 में ग्राम पंचायत चक 27ए अनूपगढ में हुए समस्त कार्यो का विवरण
3. SFC कोष से वर्ष 2020 से 2025 में ग्राम पंचायत चक 27ए अनूपगढ में हुए समस्त कार्यो का विवरण
4. टीएफसी कोष में वर्ष 2020 से 2025 में ग्राम पंचायत चक 27ए अनूपगढ़ में समस्त कार्यो का विवरण
5. FFC कोष से ग्राम पंचायत 27ए में वर्ष 2020 से 2025 के बीच हुए समस्त राजकार्यो और लाभार्थियों की सूची
6. निर्बंध कोष से वर्ष 2020 से 2025 में ग्राम पंचायत चक 27ए अनूपगढ में हुए समस्त कार्यो का विवरण

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2026.01.20 12:44:30 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

आरटीआई प्रकरण संख्या 108 / 2025
(GCMS: **2025/436**)
(RTI No. 212120787722708)

7. महानरेगा के अन्तर्गत वर्ष 2020 से 2025 में हए समस्त पक्के निर्माण की सूचना।
8. प्रधानमंत्री आवास के तहत वर्ष 2020 से 2025 में लाभान्वित लाभर्थियों की सूची
9. स्वच्छता अभियान के तहत वर्ष 2020 से 2025 में बने शौचालयों के लाभार्थियों की सूची
10. स्वच्छता अभियान के तहत वर्ष 2020 से 2025 में बने सार्वजनिक शौचालायों की सूची
11. ग्राम पंचायत 27ए की ग्राम पंचायत घर में बनी व्यवसायिक दुकानों के वर्ष 2020 से 2025 के किराए का विवरण
12. जल जीवन मिशन योजना के हर कनेक्शन से हुई 500 रूपये की वसूली राशि का विवरण
13. ग्राम पंचायत का स्क्रेब मैटेरियल के बेचान से सम्बन्धित समस्त विवरण
14. ग्राम पंचायत 27ए में कैटल शेड निर्माण लाभार्थियों की सूची
15. ग्राम पंचायत 27ए में पेयजल डिग्गी के लाभार्थियों की सूची
16. ग्राम पंचायत का वर्ष 2020 से 2025 का समस्त रोकड़ बही की प्रतिलिपि।
17. ग्राम पंचायत में डिग्गी लाभार्थियों की सूची।

लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, अनूपगढ़ ने अपने पत्रांक आरटीआई / 2025 / 456 दिनांक 24.09.2025 से अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र विकास अधिकारी, पंचायत समिति, अनूपगढ़ को स्थानान्तरित कर दी थी और अपील का जवाब निम्नानुसार प्रेषित किया है :

> उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि जरनैल सिंह द्वारा आरटीआई आवेदन क्रमांक 212973424907899 दिनांक 10.09.2025 में चाही गई सूचना कार्यालय पंचायत समिति अनूपगढ से सम्बन्धित होने के कारण इस कार्यालय के पत्रांक 456 दिनांक 24.09.2025 द्वारा सम्बन्धित कार्यालय को भिजवाया जाकर प्रार्थी को इस कार्यायल के पत्रांक 457 दिनांक 24.09.2025 द्वारा सूचित किया जा चुका है। (छायाप्रति संलग्न)
>
> उक्तानुसार जवाब प्रेषित कर निवेदन है कि अपील अपीलार्थी खारिज करने का श्रम करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2026.01.20 12:44:30 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

आरटीआई प्रकरण संख्या 108 / 2025
(GCMS: 2025/436)
(RTI No. 212120787722708)

लोक **सूचना** अधिकारी **एवं उपखण्ड** मजिस्ट्रेट, **अनूपगढ़** ने अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र का सम्बन्ध विकास अधिकारी, पंचायत समिति, अनूपगढ़ से होने के कारण उन्हें हस्तांतरित कर दिया था और अपीलार्थी को सूचित भी किया गया था। **सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत** पंचायत समिति **द्वारा सूचनाओं के सम्बन्ध में पारित आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अधिकारी के रूप में अद्योहस्ताक्षरकर्त्ता अधिकृत नहीं है।** इस न्यायालय को उक्त अपील को प्रथम अपील अधिकारी के रूप में सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं है। इसलिए अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील खारिज की जाती है। प्रार्थी यदि विकास अधिकारी, पंचायत समिति, अनूपगढ़ के जवाब से असंतुष्ट हो तो उनके सक्षम प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील पेश करने के लिए स्वतंत्र है।

अतः उक्त विवेचन अनुसार अपीलार्थी की अपील क्षेत्राधिकार के बिन्दु पर खारिज़ की जाती है। **आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, अनूपगढ़** को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकमील दाखि़ल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 29.12.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. मन्जू)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Manju
Date: 2026.01.20 12:44:30 IST
Reason: SelfAttested